PUBLIC का सवाल ? जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2020//pks/01 E-Newsletter, Issued in Public Interest बुधवार, 8 अप्रैल 2020

दोहरी मार: अप्रेल में जमा करवानी है एक बच्चे की 25-30 हजार रुपए की औसत फीस

कोरोना की मार से परिजन परेशान, कैसे देंगे स्कूल की फीस?

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . कोरोना के कहर के चलते पूरा प्रदेश लॉकडाउन में है। न उद्योग-धंधे चल रहे हैं और न ही लोगों को रोजगार मिल रहा है। कई प्राइवेट नौकरियों से वेतन भी नहीं मिल रहा है। लोग घर की जमापूंजी से खर्च चला रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों को चिंता है कि स्कूल की फीस कैसे देंगे।

कुछ स्कूलों ने परिजनों को ऑनलाइन नोटिस भी भेजने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि समय पर फीस जमा नहीं करवाई तो हर दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में परिजन पशोपेश में हैं कि घर का खर्च चलाना ही दूभर हो रहा है तो स्कूल की फीस कहां से जमा करवाएं।

परिजन राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्कूल बंद रहने तक की फीस माफ की जाए।

(देखें @ पेज 03)

ये खर्च बढ़ाएंगे अभिभावकों की परेशानी

- अप्रेल में पहली तिमाही की फीस देनी होगी।
- कुछ स्कूल नए सत्र में फीस भी बढ़ाएंगे।
- नए सत्र की किताबें भी खरीदी जाएंगी।
- स्टेशनरी व अन्य सामान लेना होगा।
- यूनिफॉर्म व जूते-मोजे का खर्च।
- स्कूल फीस के साथ ऑटो किराया आदि भी देना होगा।

साभार:-राजस्थान पत्रिका में दिनांक 08/04/2020 को प्रकाशित खबर

हम अभिभावकों की भी सुनो सरकार!!!

देश के अधिकांश मध्यमवर्गीय परिवारों की परेशानी,कैसे भरेंगे फीस??

कोरोना के कहर ने देश के हर वर्ग को परेशान कर रखा है|किसी को खाने की चिंता है तो किसी को अपने व्यवसाय की|राहत की बात है कि सरकार के प्रयासों से बैंकों ने तीन महीने के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं को दिए गये कर्जों की किश्त नही लेने का फैसला किया है|नहीं तो देश के कई परिवारों के सामने भयंकर आर्थिक संकट खड़ा हो जाता|

परन्तु इसके बावजूद एक बड़ा आर्थिक संकट अमूमन हर मध्यमवर्गीय परिवार के सामने खड़ा है वह है उनके बच्चों की जाने वाली स्कूल फीस का|

अप्रेल का औसत खर्च 25-30 हजार, अभिभावक चिन्तित

जयपुर. कोरोना व लॉकडाउन के बीच नए सत्र को लेकर अभिभावक परेशान हैं। हर साल नया सत्र अप्रेल से ही शुरू होता है। पहली तिमाही की फीस इसी महीने में जमा करवाई जाती है। पहली तिमाही की फीस, किताबों व अन्य स्टेशनरी का औसत खर्च 25-30 हजार रुपए तक होता है। जिन परिवारों में दो से तीन बच्चे हैं, वहां यह खर्च 75-90 हजार रुपए तक है। ऐसे में परिजन चिंता में हैं।

समय पर फीस जमा नहीं करवाई तो लगेगा जुर्माना : सिरसी रोड स्थित स्कूल से आए मैसेज में 10 अप्रेल तक 3 माह की 22600 रुपए फीस जमा कराने के लिए कहा गया है। फीस जमा नहीं कराने पर पैनल्टी लगेगी। पांचवीं में पढ़ने वाले बच्चे को वॉट्सएप के जरिए असाइनमेंट भेजे जा रहे हैं। यह स्थिति केवल एक स्कूल की नहीं बल्कि ज्यादातर स्कूल ऐसे ही मैसेज भेज रहे हैं।

चला रहे ऑनलाइन क्लास, ताकि ले सकें फीस : स्कूलों ने टीचर्स को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कहा है। इसमें कई अभिभावकों को परेशानियां आ रही हैं। डेटा पैक, डेडिकेटेड मोबाइल, लैपटॉप और कम्प्यूटर सिस्टम का बंदोबस्त करना अभिभावकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा है। अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद ये क्लास शुरू की जाएं।

3 माह की फीस माफ हो

पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में लोगों के काम-धंधे सब बन्द हैं। तो अभिभावक बच्चों की फीस के पैसे कहां से लाएं? अभिभावक तनाव में हैं। समस्त विद्यालयों को अप्रेल से जून तक तीन माह का विद्यालय शुल्क माफ करना चाहिए।

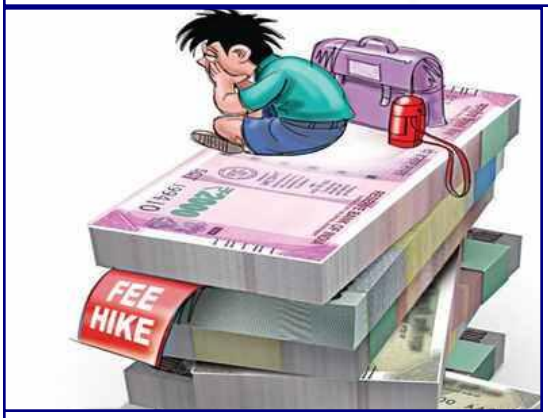

देश के अधिकांश निजी स्कूलों में नया सत्र अप्रेल माह में प्रारंभ होता है एवं अधिकांश स्कूलों में तिमाही फीस ली जाती है| जिसके तहत नए सत्र की फीस अप्रेल माह में ही जमा करवानी होती है|अमूमन एक बच्चे की निजी स्कूल की पहले तिमाही की फीस,किताबे,स्टेशनरी आदि सहित लगभग 25-30 हजार होती है|ऐसे में कोरोना के चलते जहाँ ना उद्योग-धंधे चल रहे है ना ही अन्य रोजगार के कोई साधन उपलब्ध है,जो अभिभावक अपनी जमापूंजी से घर खर्च चला रहे है ,उनके मोबाइल पर आ रहे स्कूल फीस जमा करवाने के सन्देश,उनकी मुसीबतें हजार गुनी बढ़ा रहे है|इन नोटिस नुमा मेसेजों के कारण परिवार के पालनहार के माथे पर चिंता की लकीरों को आसानी से पढ़ा जा सकता है|उन्हें यही डर लग रहा है कि फीस जमा नहीं करवाने पर स्कूलवाले उनके बच्चे की सीट छिनकर किसी अन्य बच्चे को नहीं दे देवें|

क्या कहते है अभिभावक?

अधिकांश अभिभावकों का कहना है कि इस कठिन समय में स्कूल मेनेजमेंट को अभिभावकों की इस व्यथा को समझना चाहिए और आगे बढकर तीन माह की फीस नही लेनी चाहिए|यदि स्कूल मेनेजमेंट इसके बावजूद मनमानी करताहै तो हमे मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा|

श्री पुनम चंद भंडारी,एडवोकेट

मेरे पास मेरे बच्चों की फीस जमा करवाने हेतु स्कूल प्रशासन द्वारा मेसेज भेजा गया है|ऐसे कठिन समय में जबकि किसी को पता नही है कि यह लोकडाउन कब हटेगा?अपनी जमापूंजी स्कूल फीस में जमा करवाना, नयी परेशानियों को न्योता देने जैसा है|

श्री सुनीत अग्रवाल,बिल्डर एवं इंश्योरेंस ब्रोकर

मेरी साड़ियों की दूकान लोकडाउन में बंद पड़ी हुई है,पता नही कब चालू होगी?ऐसे में मेरे तीन बच्चों की फीस जमा करवाने के नाम पर मेरी आँखों के सामने अँधेरा छा जाता है|

श्री पुनीत शर्मा,व्यवसायी

ऑनलाइन एज्युकेशन के नाम पर कम्प्यूटर,डेटापेक,प्रिंटर आदि के नये खर्चे खड़े हो गए है, ऐसे में जब सारी दुकाने बंद है इन सब चीजों की व्यवस्था कैसे करू?स्कूल प्रशासन को यह समझना चाहिए कि तीन महीने नहीं पढ़ाने से बच्चों का कोई केरियर ख़राब नही हो जाएगा|

श्री महावीर सिंह तंवर,व्यवसायी